

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे में जानकारी भाग-10

ऑनलाइन सुविधा- राजस्व मानचित्र की प्रति घर पर प्राप्त करें

1

<https://dlrs.bihar.gov.in/> को खोलें तथा
“Door Step Delivery of Revenue Maps” पर क्लिक करें।



2

अब आप map से संबन्धित विवरण यथा Area Type, Map Type, District, Survey Thana/ Municipal तथा मौज़ा/ वार्ड को चुनें तथा Search Map पर क्लिक करें।



4

अगर आप और नक्सा cart में add (Max 5 Map/ Cart) करना चाहते है तो step -2 & 3 में दिये गए प्रक्रिया से कर सकते है। Cart final होने पर आप Proceed बटन पर क्लिक करें तथा अपने delivery address को भर कर Checkout बटन पर क्लिक करें।



3

अब आपको चुने हुये विकल्प के अनुसार राजस्व मानचित्र की सूची दिखाई देगी। “Click & View” पर क्लिक कर आप map को देख सकते है। जिस map की जितनी प्रति खरीदना चाहते हैं, चुन कर उस map के सामने दिये विकल्प को (✓) tick करें तथा “Add to Cart” बटन पर क्लिक करें। आपको अपना cart में दिखाई देने लगेगा।



5

अब आप pay now पर क्लिक कर payment के विकल्प को चुन कर अपने राशि का भुगतान करें। सफलतापूर्वक भुगतान के उपरांत आपको स्क्रीन पर प्राप्ति रशीद दिखाई देगी, जिसे भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।



6

ऑनलाइन राजस्व मानचित्र का order status देखने के लिए <https://dlrs.bihar.gov.in/> को खोलें तथा “Door Step Delivery of Revenue Maps” पर क्लिक कर “Track Your Order” पर क्लिक करें। प्राप्ति रसीद पर अंकित consignment no को दर्ज कर आप अपना order status देख सकते हैं।